

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु लागू होगी नई पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2022 को उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में नविश को बढ़ावा देने के लिये सरकार जल्द ही नई नीति लागू करेगी। इसके लिये विभाग की ओर से नई पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन विकास परिषद से पारित कर जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिये कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति में नविशकों को सरकार एमएसएमई से अधिक नविश प्रोत्साहन राशि देगी। इससे आने वाले समय में प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
- नई नीति में उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मध्य प्रदेश की पर्यटन नीतिकी तरज़ पर उत्तराखण्ड में भी नविशकों को ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रावधान होगा। जिससे फाइव स्टार होटल, रेस्टोरेंट, साहसिक पर्यटन के लिये अवस्थापना विकास में सरकार की ओर से नविश प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अभी तक एमएसएमई उद्योगों की तरज़ पर सरकार पर्यटन उद्योगों को एक से डेढ़ करोड़ की नविश प्रोत्साहन राशि दे रही है, जबकि अन्य राज्यों में पर्यटन उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलने से नविशक उत्तराखण्ड में कम रुचि दिखा रहे हैं। जिससे सरकार ने नई नीति में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर नविशकों को आकर्षित करने जा रही है।
- नई पर्यटन नीति में नविश प्रोत्साहन राशि को डेढ़ करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ किया जा सकता है। इसके अलावा इंटर सब्सिडी को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, एसजीएसटी में पाँच साल तक की छूट, स्थानीय वास्तुकला के आधार पर भवन निर्माण करने पर अतिरिक्त अनुदान राशि का प्रावधान किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में महिला उद्यमियों को अलग से प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। इसके बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, कैपिंग आदि साहसिक पर्यटन में नविश करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- होटल व्यवसाय में सीवरेज सिसिम, सौर ऊर्जा के लिये नविशकों को अतिरिक्त राहत देने का प्रावधान किया जाएगा।
- राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र में 1116 नविश प्रस्ताव मिले हैं, इसमें लगभग 5122 करोड़ रुपए का नविश होगा। इससे लगभग 19 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- सरकार का मानना है कि नई नीति के बनने से राज्य में पर्यटन क्षेत्र में नविश में तेजी आएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर पर्यटन नीति लागू की गयी थी। जिसमें पर्यटन उद्योगों को भी एमएसएमई, मेगा इंडस्ट्रियल नीतिके तहत प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई थी।
- वर्तिमान उद्योग की तरज़ पर ही पर्यटन उद्योगों को 10 से 200 करोड़ रुपए का नविश करने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए, मैदानी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ रुपए की छूट, बजिली बलियों में एक रुपए प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति और वदियुत ड्यूटी में पाँच साल की छूट दी जाती है।